Result Mitra Daily Magazine

पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत

✓ हालिया सन्दर्भ

- 01 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान ले लिया है, जो आपराधिक कानूनों में बदलाव से सम्बंधित है।

✓ BNSS VS Cr. PC

- Cr. PC को "आरोपी का संविधान" उपनाम प्राप्त था, क्योंकि यह आरोपी की हिरासत में लिए जाने, पुलिस द्वारा पूछताछ किये जाने जैसे परिस्थितियों में आरोपी को एवं सुरक्षा प्रदान करती थी, जो पुलिस हिरासत के अवधि को संदर्भित करता है।
- Cr. PC पुलिस को यह आदेश देती थी कि आरोपी को जल्द से जल्द न्यायाधीश के सामने पेश करे तथा उसकी एक वकील तक पहुंच सुनिश्चित करे।
- Cr.PC में पुलिस हिरासत की सीमा 15 दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन BNSS में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
-
- Cr.PC की धारा - 167 में निर्धारित सजा के आधार पर अधिकतम पुलिस 60 दिन या 90 दिन निर्धारित किया गया है, जिसे 15 दिनों में पुलिस हिरासत में सीमित किया गया था।
- धारा 16(2) A में प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट आरोपी की पुलिस हिरासत 15 दिनों से ज्यादा तभी निर्धारित करेंगे, जब उन्हें इसके लिए पर्याप्त आधार प्राप्त होगा।
- BNSS की धारा 187 में जमानत का प्रावधान Cr.PC के समान ही है लेकिन मजिस्ट्रेट सामान्य स्थिति में भी पुलिस हिरासत को 15 दिनों से बढा सकता है।
- BNSS की धारा 187(3) में वर्णन है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को 15 दिन में अधिक अवधि के लिए तभी अधिकृत कर सकता है, जब वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

- कोई भी मजिस्ट्रेट आरोपी को 187(3) के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से ज्यादा दिनों के पुलिस हिरासत के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है।
- यह अधिकतम अवधि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध में 90 दिन और अन्य आरोप के संबंध में यह 60 दिन है।
- 90 दिन या 60 दिन की पुलिस हिरासत, जो भी मामला हो, के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि वह जमानत के लिए तैयार है।
- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 में जैसे कठोर कानून में भी नीतिगत हिरासत के लिए अधिकतम 30 दिनों का ही प्रावधान है।
- इसके अलावा UAPA की धारा 43-D में यह अनिवार्य प्रावधान है कि यदि आरोपी न्यायिक हिरासत में है तो पुलिस द्वारा उसे अपने हिरासत में लेने के लिए उपयुक्त कारणों को बताते हुए Affidavit (हलफनामा) दायर करना होगा।
- BNSS एक सामान्य आपराधिक कानून है, लेकिन UAPA की तुलना में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि में 3 गुना वृद्धि करने में सक्षम है।

✓ अनुच्छेद-21 का उल्लंघन :-

- किसी अभियुक्त के लिए पुलिस हिरासत में 90 दिन बिताना, जीवन, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और निष्पक्ष सुनवाई के दृष्टिकोण से अनुचित हो सकता है।
- Cr.PC में यह प्रावधान था कि 15 दिनों के पुलिस अवधि के बाद किसी भी एक न्यायाधीश आरोपी को न्यायिक हिरासत में ले सकता है।
- BNSS पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है, जो अनुच्छेद-21 में वर्णित विचाराधीन कैदी के अधिकार का उल्लंघन जैसा है।
- इतने लंबे समय तक हिरासत में रहने से आरोपी हिंसा के प्रति संवेदनशील हो सकता है।

✓ डी. के. बसु मामला

- डी. के. बसु vs पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदियों, दोषियों, बंदियों एवं हिरासत में बंद अन्य कैदियों को अनुच्छेद-21 में वर्णित अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।

✓ अनुच्छेद-21 में वर्णित कैदियों से संबंधित अधिकार -

1. अकेले कारावास में बंद होने के खिलाफ अधिकार
2. त्वरित सुनवाई का अधिकार
3. हथकडी लगाए जाने के खिलाफ अधिकार
4. अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार

Result Mitra TM

5. देर से फांसी के खिलाफ अधिकार
6. हिरासत में शोषण के विरूद्ध अधिकार
7. कैदी के जीवन के लिये आवश्यकताओं का अधिकार
8. सार्वजनिक फांसी के विरूद्ध अधिकार

✓ हिरासत में यातना संबंधी (विरूद्ध) मूल अधिकार :-

- अनुच्छेद-21, यातना एवं क्रूर व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 20(1) किसी व्यक्ति को वर्णित सजा से ज्यादा सजा देने पर भी रोक लगाता है।
- 20(3) यह प्रावधान करता है कि किसी भी आरोपी/व्यक्ति की स्वयं के विरूद्ध (स्व-अभिशंसन) गवाही देने या साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- यह प्रावधान व्यक्ति को पुलिस हिरासत मेंया तना एवं हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है।

✓ हिरासत में यातना :-

- यातना एवं हिंसा का तात्पर्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीडा देना है, जो पुलिस या अन्य संबंधित कर्मियों द्वारा दिया जाता है।
- हिरासत में यातना कई बार मौत का कारण भी बन जाता है और यह मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा का भी उल्लंघन है।

✓ हिरासत में मौत :-

- पुलिस हिरासत में मौत मुख्यतः पुलिस बलों द्वारा अत्यधिक यातना, बल प्रयोग एवं चिकित्सा मामलों में लापरवाही के कारण होता है।
- न्यायिक हिरासत में मौत मुख्यतः कैदी द्वारा हिंसा, आत्महत्या या भीड द्वारा हिंसा अथवा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से होता है।
- सैन्य बलों के हिरासत में मौत का कारण मुख्यतः यातना, गोलीबारी या मुठभेड आदि होता है।

✓ पिछले 5 वर्षों में पुलिस हिरासत में मौत :-

- 2017-18 - 146
- 2018-19 - 136

Result Mitra TM

- 2019-20 - 112
- 2020-21 - 100
- 2021-22 - 175

- इस अवधि में सर्वाधिक मौत गुजरात में (80) तथा इसके बाद महाराष्ट्र-76, UP -41, तमिलनाडू-40 और बिहार-38 दर्ज की गई।
- उपरोक्त आंकडे भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये है।

✓ पुलिस हिरासत vs न्यायिक हिरासत

- किसी भी आरोपी को पुलिस या न्यायिक हिरासत में इस उद्देश्य से रखा जाता है ताकि आरोपी संबंधि तमामले से जुडे किसी साक्ष्य के साथ कोई छेडछाड न कर सके। या वह मामले से संबंधित किसी गवाह को प्रभावित न करे।
- जब किसी अपराध के मामले में किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि उसे न्यायिक हिरासत में लिया जांच या पुलिस हिरासत में भेजा जाए।
- ऐसे व्यक्ति जो सीधे न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।
- न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी को कारावास में रखे जाने का प्रावधान है तथा इस दौरान पुलिस किसी भी मामले में आरोपी से कोई भी पूछताछ बिना अदालत के आज्ञा से नहीं कर सकती।
- न्यायिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति/आरोपी की सुरक्षा अदालत द्वारा निर्धारित होती है।
- न्यायिक हिरासत में रहने वाले व्यक्ति/आरोपी की सुरक्षा अदालत द्वारा निर्धारित होती है।
- न्यायिक हिरासत से व्यक्ति/आरोपी तभी छूट सकता है, जब उसे जमानत मिल जाए या उसके खिलाफ चल रहा मामला खत्म हो जाए और उसे बरी कर दिया जाए।
- पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस लॉकअप (पुलिस थाने में बने जेल जैसी संरचना) में रखना पडता है।
- पुलिस हिरासत में पुलिस आरोपी से बिना न्यायालय के आज्ञा के भी पूछताछ कर सकती है।
- पुलिस हिरासत में लिये जाने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसके पश्चात मजिस्ट्रेट/अदालत यह निर्णय लेती है कि व्यक्ति/आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना है या पुलिस हिरासत में।
- पुलिस हिरासत में रहने वाले आरोपियों की सुरक्षा का निर्धारण पुलिस विभाग द्वारा होता है।
- पुलिस हिरासत वास्तव में शारीरिक हिरासत होता है, जबकि न्यायिक हिरासत संस्थागत हिरासत होता है।

- न्यायिक हिरासत में मुलाकात (परिजन) के समय, खाना-सोने का समय एवं आरोपी तक पुलिस की पहुंच आदि निर्धारित होती है।

Result Mitra